प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार

प्रताप नगर और सांगानेर क्षेत्र में पुलिस टीम की कार्रवाई; नशीली दवाएं व इंजेक्शन जब्त

जयपुर (कासं)। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन 'क्लीन स्वीप' के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सांगानेर और प्रतापनगर थाना क्षेत्र से अवैध नशीली दवाओं व इंजेक्शन की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं, इंजेक्शन और नकद राशि बरामद की गई है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से प्रतिबंधित दवाइयों का व्यापार करने वाले अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करने में जुटी है। गौरतलब है कि सीएसटी ने दो फार्मासिस्ट के घर पर छापामारी करते हुए प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा जब्त किया है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि ऑपरेशन 'क्लीन स्वीप' के तहत सांगानेर और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सीएसटी टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं और इंजेक्शन की तस्करी करने के मामले में सुनील कुमार गोयल (37) निवासी गणेश नगर मानसरोवर हाल प्रताप नगर और नरेन्द्र सिंह नरुका (39) निवासी सांगानेर निवासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार गोयल और नरेंद्र सिंह नरुका मेडिकल स्टोर संचालक फार्मासिस्ट है।

- **पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित 3465 ट्रामाडोल कैप्सूल, 100 इंजेक्शन, 12 हजार 600 अल्प्राजोलम और 1210 ऐविल टैबलेट जब्त की**

पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित नशीली दवाइयों में 3 हजार 465 ट्रामाडोल कैप्सूल, 100 इंजेक्शन, 12 हजार 600 अल्प्राजोलम टैबलेट और 1 हजार 210 ऐविल टैबलेट मिली। पुलिस ने नशीली दवाईयों के साथ बिक्री के 76 हजार 760 रुपए जब्त कर लिए।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह ने बताया कि सीएसटी टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी की दो फार्मासिस्ट प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी में शामिल हैं। जिसके घरों पर बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवाइयां मिल सकती हैं। सूचना मिलने के बाद सीएसटी टीम ने सांगानेर और प्रताप नगर स्थित दोनो फार्मासिस्ट के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की।

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रताप नगर और सांगानेर में अलग-अलग मामले दर्ज दर्ज किए गए है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि नशीली दवाओं की यह खेप कहां से लाई गई थी और किन-किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। शहर में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा।

मुख्य सचिव ने ली प्रदेश के गौशाला संचालकों की बैठक

गौ-वंश संरक्षण और आत्मनिर्भर गौशाला राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : वी. श्रीनिवास

जयपुर (कासं)। प्रदेश में गौवंश संरक्षण, गौशालाओं के सुदृढ़ संचालन तथा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को गौशाला संचालकों और पशुपालन व गोपालन विभाग के अफसरों की बैठक हुई। बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में पशुपालन एवं गौपालन विभाग की बैठक लेकर प्रदेशभर के 150 गौशाला संचालकों से संवाद किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि गौ-वंश संरक्षण और आत्मनिर्भर गौशाला राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। गौशाला और गौवंश मुख्यमंत्री के प्रिय विषय हैं और इस संबंध में समय-समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आयुर्वेद के साथ इनके जुड़ाव के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने गौमूत्र और गोबर के बेहतर लाभ प्राप्त करने और सीएसआर के तहत अधिक से अधिक भामाशाहों को गौशाला से जोड़ने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के अनुदान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए जिस पर गौशाला के निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट डाली जाए। उन्होंने मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की गौशालाओं के लिए बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने गौशाला संचालकों से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुझाव मांगे और उनसे संवाद भी किया। उन्होंने लाभार्थियों के फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने गौशालाओं मे वित्तीय अनुशासन, रिकार्ड संधारण तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश है कि गायों के पोषण, रखरखाव और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। गौशालाओं के मासिक निरीक्षण की व्यवस्था की जा रही है। महीने के पहले सप्ताह में सभी गौशालाओं में जाकर एक निरीक्षण दल वहां की व्यवस्थाओं को देखेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां संधारित गौवंश में से प्रजनन योग्य गौवंश को अलग कर उन्हें दूध देने लायक बनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से उनका ए.आई किया जाए, जिसमें 90 प्रतिशत बछडियां होती हैं। शासन सचिव ने एक प्रस्तुति के माध्यम से प्रदेश की आदर्श गौशालाओं का प्रदर्शन भी किया।

बैठक में पशुपालन, गोपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा 150 से भी अधिक संख्या में गौशाला संचालक उपस्थित थे। जिला अधिकारियों और जिलों के गौशाला संचालकों ने बैठक में वी सी के माध्यम से भाग लिया।

मुख्य सचिव ने किया शहरी समस्या समाधान शिविर का निरीक्षण

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में चल रहे शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आए लोगों से संवाद किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर ही आवेदकों को पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि एवं स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शिविर का अवलोकन करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में अहम कदम है। शिविरों के माध्यम से आमजन को पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन का अनुभव होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने मुख्य सचिव को शिविर की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर से शुरू हुए इन शिविरों में अब तक पट्टे, नाम हस्तांतरण, उपविभाजन और पुनर्गठन से जुड़े सैकड़ों प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। आयुक्त आनंदी ने बताया कि अब तक जोन-1 में 7 पट्टे व 2 नाम हस्तांतरण किए गए है। वहीं जोन-9 में 46 पट्टे जारी करने के साथ 12 नाम हस्तांतरण और 3 उपविभाजन/पुर्नगठन के कार्य हुए है। जोन-10 ने भी 24 पट्टे जारी करते हुए 2 नाम हस्तांतरण व 1 उपविभाजन/पुर्नगठन तथा 1 आवंटन पत्र जारी करने का काम किया है। जोन-11 में भी 24 पट्टे, 2 नाम हस्तांतरण, 1 उपविभाजन/पुर्नगठन हुआ है। इसी तरह जोन-12 में 79 पट्टे, 6 नाम हस्तांतरण तथा जोन-14 में 36 पट्टे एवं 11 नाम हस्तांतरण, एक उपविभाजन/पुर्नगठन और 2 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए है।

तेज रफ्तार थार ने दंपत्ति समेत तीन लोगों को टक्कर मारी

जयपुर (कासं)। झोटवाड़ा इलाके में तेज रफ्तार थार ने पति-पत्नी सहित तीन जनों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और थार को लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर सडक दुर्घटना थाना पश्चिम पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर अज्ञात थार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरु कर दी है।

एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि झोटवाड़ा इलाके में स्थित गणेश कॉलोनी निवासी पवन कुमार सोनी (33), उसकी पत्नी साक्षी (30) और साली उर्वशी (26) अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान निवारु रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास तेज रफ्तार थार ने उन्हे जोरदार टक्कर मार दी।

सडक पर तीनों के गिरने के बाद थार चालक साईड कट मार कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने थार चालक की तलाश शुरु कर दी है।

कनिष्ठ अनुदेशकों की काउंसलिंग 22 दिसंबर से

जयपुर (कासं)। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती-2024 के लिए अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को 22 से 26 दिसंबर तक काउंसलिंग के बाद नियुक्तियां मिलेगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में विभिन्न 20 व्यवसायों व विषयों में अंतिम चयनित 1544 अभ्यर्थियों को सितंबर-2025 में आयोजित रोजगार मेले में प्रोविजनल चयन पत्र जारी कर दिए थे। चूंकि कुल 2500 पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने 26 से 28 नवंबर के बीच अतिरिक्त अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करवाया और इसके बाद 5 दिसंबर को भर्ती बोर्ड जयपुर को पात्रता रिपोर्ट भेजते हुए शीघ्र ही संशोधित अंतिम परिणाम जारी करने के लिए कहा था। इसके बाद राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर को सभी व्यवसायों-विषयों के संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करते हुए नियुक्ति के लिए अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की अभिशंषा विभाग को भेज दी थी। अब बताया जा रहा है कि 22 से 26 दिसंबर के बीच अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्तियां दी जाएंगी।

'अजमेर दरगाह ब्लास्ट में अपीलों पर मैरिट के आधार पर करे हाईकोर्ट फैसला'

जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम ब्लास्ट मामले को हाईकोर्ट भेजते हुए कहा है कि वह पीडितों की ओर से अपील पेश करने में हुई देरी को नजरअंदाज कर मामले के गुण-दोष यानी मेरिट के आधार पर निर्णय करे। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजमेर दरगाह के खादिम और मामले के शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

मामले के अनुसार 11 अक्टूबर, 2007 को रमजान के दौरान अजमेर दरगाह परिसर में बम धमाका हुआ था। इसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। मामले में एनआईए ने जांच कर विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

जिस पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने साल 2017 में भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और लोकेश शर्मा, चन्द्रशेखर लेवे, मुकेश वासानी, हर्षद, नभ कुमार सरकार उर्फ असीमानंद, मेहुल और भरत मोहन रतेश्वर को बरी कर दिया था। शिकायतकर्ता सरवर चिश्ती ने आरोपियों को बरी करने और दो अभियुक्तों को दी सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने साल 2022 में इन अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपील दायर करने में 90 दिन से अधिक की देरी हुई है और एनआईए एक्ट के तहत इस देरी को माफ नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी।

सार-समाचार

महिला कारीगरों को उन्नत टूल किट बांटे

जयपुर। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत सीतापुरा स्थित हस्तशिल्प सेवा केंद्र में निशुल्क उन्नत टूल किट वितरण समारोह आयोजित हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष एन.एल. वर्मा, सेनि. आरएएस ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमलेश शर्मा, शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2024 रहीं। विशिष्ट अतिथियों में मोहन लाल शर्मा (शिल्प गुरु), प्रेम देवी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ब्लॉक प्रिंट, कुंज बिहारी सोनवा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ब्लॉक प्रिंट, कार्पेट ट्रेनिंग अधिकार नवीन विष्णु रहे। मीडिया प्रभारी तथा स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ आचार्य प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना तथा महासचिव दुर्गा वर्मा ने बताया कि हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल उन्नयन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं सतत आजीविका को बढावा देने के उद्देश्य से 50 महिला हस्तशिल्प कारीगरों को कशीदाकारी के उन्नत टूल किट वितरित की गई। जिसमें सिलाई मशीन सहित 14 आइटम दिए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी, सेनि. मुख्य लेखाधिकारी सी. एल. आलोरिया, दिनेश, जुगल किशोर, नारायण बुनकर, सुमन देवी, विमला शेरावत, अंजू, गंगादेव, देवोजानी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नॉकआउट व डबल्स वर्ग में मुकाबला

जयपुर। आईएमटीएस पिंक सिटी सीज़न 3 डॉक्टर्स की वार्षिक राष्ट्रीय टेनिस चैपियनशिप में डबल्स और नॉकआउट चरण के मुकाबलों ने प्रतियोगिता को और अधिक रोमांचक बना दिया। विभिन्न आयु वर्गों में देशभर के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। आयोजन अध्यक्ष डॉ. जयंत सैन ने बताया कि डबल्स पुरुष 60 प्लस वर्ग में ग्रुप-सी के मुकाबले में अर्जुन / देवांग देसाई (तेलंगाना) ने संजिव / दीपक दीक्षित को 6-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। डबल्स महिला वर्ग में ग्रुप-बी के मुकाबलों में ज्योति मिश्रा / नयनिका रेड्डी (उत्तर प्रदेश) ने हेमल शाह / जानकी शाह को 6-1 से हराया। अगले मुकाबले में हेमल शाह / जानकी शाह (गुजरात) ने वापसी करते हुए स्मिता चव्हाण / गीता केकरे को 6-1 से पराजित किया। पैट्रन डॉ. संदीप निझावन ने बताया कि डबल्स पुरुष 40-50 वर्ष वर्ग में ग्रुप-के में अनुपाल कहलोन / यादविंदर सिंह (पंजाब) ने रणजीत / आनंद को 6-2 से हराया। वहीं ग्रुप-एफ में रवि तेज / पवन मनोहर पाटिल (तेलंगाना) ने रवि थापर / विक्रांत शाह के खिलाफ 6-3 से जीत दर्ज की। आयोजन सचिव डॉ. अनिल यादव ने बताया कि नॉकआउट चरण-सिंगल्स पुरुष अंडर-40 में कृष्णा साई (तेलंगाना) ने अभिषेक जी. देशपांडे को 6-1 से हराया, जबकि नीरज बसंतानी (उत्तर प्रदेश) ने उन्नीकृष्णन को 6-2 से पराजित किया।

सड़क सुरक्षा संदेश देने वाले बच्चे पुरस्कृत

जयपुर । सड़क सुरक्षा पर आधारित पैंटिंग प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक सोच का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रत्येक छात्र द्वारा बनाई गई तस्वीर कोई न कोई सकारात्मक संदेश दे रही है। विद्यालय में सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता ने बच्चों की रचनात्मकता और जागरूकता को रंगों में ढाल दिया। शुक्रवार को सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर मुख्य अतिथि रहे जबकि डॉ. एल. एन.पांडेय नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पद्मश्री तिलक गीताई, विशिष्ट अतिथि रहे। प्रतियोगिता में जयपुर जिले के 60 विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन्हें 3000 से 31000 रुपए तक के कुल 30 पुरुस्कार वितरित किए गए। सर्वोच्च पुरस्कार कृतिका राठौड ने जीता। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष पद्मश्री तिलक गीताई एवं सदस्य ब्रिजराज और जयश्री रहे।

''पाली मॉडल'' की रिपोर्ट सीएम को भेंट

जयपुर। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में विगत 32 वर्षों से समर्पित अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती की पहल पर राजस्थान के सबसे बड़े टैक्सटाइल प्रोसेसिंग हब पाली में संचालित कौशल विकास के विविध प्रकल्पों पर आधारित विशेष रिपोर्ट उद्योग टाइम्स के को-एडिटर डॉ. संजय मिश्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट की।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस से जनित वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय पाली टीम ने सिलाई, चूड़ी और कुल्हड़ उद्योग के साथ सौंदर्य सज्जा जैसे कौशल से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़कर उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया। कौशल विकास का ये कार्यक्रम देशभर में पाली मॉडल के नाम से विख्यात हुआ।

सैनिक राष्ट्र निर्माण के सच्चे भागीदार : राज्यपाल

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। वह जब सेना में नहीं भी होता है तो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा रहा होता है। उन्होंने कहा कि सैनिक शब्द ही रगों में जोश जगाने वाला है। उन्होंने माखन लाल चतुर्वेदी की लिखी पुस्तक की अभिलाषा की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि सैनिक उसी पथ को चुनते हैं, जो वीरता से जुड़ा होता है। मां भारती के लिए सर्वस्व समर्पण ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। राज्यपाल बागडे शनिवार को आर्मी एरिया ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26 वें वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण, सम्मान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सैनिकों के परिजनों के लिए भी सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को सशक्त करने हेतु चलाई जा रहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अखिल भारतीय पूर्व सैनिकों द्वारा सामाजिक सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका की सराहना भी की।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26वें वार्षिक अधिवेशन में स्मारिका का विमोचन किया।

समारोह में देशभर से पूर्व सैनिक, रक्षा विशेषज्ञ एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। मेजर जनरल अनुज माथुर ने परिषद के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान परिषद की स्मारिका का भी लोकार्पण किया।

फिरौती के लिए युवक का अपहरण करने वाले गिरफ्तार

सांगानेर सदर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा।

जयपुर। सांगानेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न केवल अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया,बल्कि अपहरण में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया। मामले में फिरौती की मंशा से युवक का अपहरण किया गया था। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि 19 दिसंबर को सांगानेर थाने में दर्ज प्रकरण में अपहरण की सूचना मिली थी। पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि 18 दिसंबर की शाम को उसे जबरन कार में बैठाकर मारपीट की गई और 19 हजार रुपए की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए ख्यालीराम यादव (24) निवासी प्रागपुरा जिला कोटपूतली, अशोक यादव (20) निवासी सरूंड जिला कोटपूतली-बहरोड़ और कृष्ण यादव (21) निवासी प्रागपुरा जिला कोटपूतली-बहरोड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करनमें जुटी है। कार्रवाई में थानाधिकारी लिखमाराम के नेतृत्व में एएसआई गोपाल लाल, नरेश कुमार, कांस्टेबल शंकर लाल ,राम अवतार,विनोद कुमार,विष्णु कुमार और दयाराम की विशेष भूमिका रही।

पावर सेक्टर में पारदर्शिता का राष्ट्रीय मॉडल बना राजस्थान

जयपुर। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा अपनाई गई पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की है।

साथ ही इसे देश के अन्य राज्यों के लिए श्रेष्ठ व्यवहार के रूप में अपनाने के निर्देश जारी किए है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य विद्युत प्रसारण उपयोगिताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य ग्रिड उप केंद्रों पर विद्युत कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएं। इस निर्णय में राजस्थान द्वारा की गई पहल को विशेष रूप से उदाहरण के रूप में उल्लेख किया गया है।

- **केंद्र सरकार ने राजस्थान की पहल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताई**

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी ग्रिड उपकेंद्रों पर उपलब्ध अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जा रही है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ताओं को ग्रिड उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल रही है, अनिश्चितता कम हुई है तथा परियोजनाओं की योजना एवं निवेश निर्णय समय पर लिए जा रहे हैं।

राजस्थान की इस पहल से परियोजना नियोजन की समय-सीमा में सुधार हुआ है और नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण को मजबूती मिली है। इसी अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार ने इस पारदर्शिता आधारित व्यवस्था को देशभर में मानकीकृत करने की मंशा व्यक्त की है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं औद्योगिक/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी परियोजनाओं की प्रभावी योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है।

अभियोजन अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन में दोषसिद्धि की दर आधार क्यों?

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन में दोषसिद्धि की दर को आधार बनाए जाने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और अभियोजन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की अध्यक्ष प्रतिभा पुरोहित की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारियों के लिए एपीएआर का नया प्रारूप तय किया गया है। जिसमें पहली बार अभियोजन अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन करने के लिए उनकी ओर से आरोपी को दोषसिद्धि कराने की दर का कॉलम जोडा गया है। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान मनमाना और असंवैधानिक है। किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि या बरी होना कई कारकों पर निर्भर करता है। जिसमें जांच की गुणवत्ता, साक्ष्यों की उपलब्धता, गवाहों के सहयोग और न्यायालय की प्रक्रिया आदि शामिल हैं, लेकिन इन पर अभियोजन अधिकारी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में कई मामलों में तय कर चुका है कि अभियोजन अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल दोषसिद्धि की दर के आधार पर नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।